

राज्य आकस्मिकता निधि से धनावंटन
संख्या- 192 / 1-10-2015-33(34) / 2015

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, फतेहपुर, जालौन, सोनभद्र, कानपुर नगर, अमेठी, चित्रकूट, ललितपुर,
इटावा, हमीरपुर, बांदा, पीलीभीत, उन्नाव, महोबा, कन्नौज, मीरजापुर, इलाहाबाद,
सहारनपुर, बदायूँ, आजमगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर,
औरैया, प्रतापगढ़, फैजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर देहात एवं बिजनौर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2015

विषय: फरवरी/मार्च, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान एवं मृतकों के आश्रितों को वितरित किये जाने के लिये राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-177/1-11-2015-1(जी)/2015, दिनांक 18.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माह फरवरी/मार्च, 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष दैवी आपदा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा भी किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में तथा दैवी आपदा की वजह से असामयिक मृत्यु के कारण भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि रु0 1.50 लाख के अतिरिक्त रु0 3.50 लाख की धनराशि, दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः इसके लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल धनराशि रु0 2,00,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़ मात्र) निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अधीन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	आगरा	120.74
2	फतेहपुर	292.66
3	जालौन	80.95
4	सोनभद्र	12.61
5	कानपुर नगर	921.57

6	अमेठी	40.82
7	चित्रकूट	241.03
8	ललितपुर	217.40
9	इटवा	640.22
10	हमीरपुर	1562.97
11	बांदा	3703.07
12	पीलीभीत	119.40
13	उन्नाव	359.61
14	महोबा	2779.11
15	कन्नौज	187.29
16	मीरजापुर	130.56
17	इलाहाबाद	178.93
18	सहारनपुर	23.48
19	बदायूं	506.75
20	आजमगढ़	38.40
21	झांसी	6305.97
22	फिरोजाबाद	134.91
23	लखीमपुर खीरी	0.94
24	मुजफ्फरनगर	175.90
25	औरैया	154.82
26	प्रतापगढ़	44.12
27	फैजाबाद	81.72
28	मुरादाबाद	28.89
29	कानपुर देहात	780.25
30	बिजनौर	134.91
	योग	200.00
रूपये दो सौ करोड़ मात्र		

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन एवं मद में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर अन्य किसी भी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसा व्यय जिसके लिये बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

(3) चूंकि यह योजना एक नयी योजना है जिसके लिये वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-382/दस-2015, दिनांक 20 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि आहरित की गयी है। अतः इस

धनराशि के व्यय का जिला स्तर पर अलग से समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

(4) इस स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24.09.2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू० 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू० 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

(6) इस धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(7) राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

(8) कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की गयी है। अतः प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त व्यय प्रथमतः "8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि" से विनियोग और अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05- स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-04-दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

5- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीया,
22/3/15
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :- 192, (1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Mohan
(मदन मोहन)
अनु सचिव।